संख्या-71/2022/671/002-23-9-2022-01एसपीएम-2020

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 28 जुलाई, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजनान्तर्गत जनपद फिरोजाबाद के 03 चालू कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(मु-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं-294/सीई-एचक्यू1/एसपीएम/एजीआर/2022-23, दिनांक 11.07.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजनान्तर्गत जनपद फिरोजाबाद के 03 चालू कार्य हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त चालू कार्य पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में तालिका के स्तम्भ-9 के अनुसार कुल रू0 36,47,000/- (रूपये छत्तीस लाख सैतालीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरणानुसार/शर्तों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक आवंटित धनराशि	बचत	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	फिरोजाबाद	क्लस्टर रूधऊ मुस्तकिल के अन्तर्गत चुल्हावली राधा स्वामी आश्रम से गढ़ी मिश्री मार्ग का नव निर्माण कार्य।	83/2021/आ0-08/23-9-2021-01एस0पी0एम0/2021, दि0 23.03.2021	146.50	102.55	28.94	15.01	15.01
2	फिरोजाबाद	क्लस्टर रूधऊ मुस्तकिल के अन्तर्गत टूण्डला से हदय नगर होते हुये रूधऊ तक ग्रामीण मार्ग का नव निर्माण कार्य।	83/2021/आ0-08/23-9-2021-01एस0पी0एम0/2021, दि0 23.03.2021	198.90	139.23	43.54	16.13	16.13
3	फिरोजाबाद	क्लस्टर रूधऊ मुस्तकिल के अन्तर्गत रा0मा0-2 से मोहम्मदाबाद के आबादी भाग में आर0सी0सी0 नाले का निर्माण कार्य।	83/2021/आ0-08/23-9-2021-01एस0पी0एम0/2021, दि0 23.03.2021	52.83	36.99	10.51	5.33	5.33
		योग						**36.47**

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजनान्तर्गत निर्माणाधीन मार्गों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तिर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

करायी जाय।

(3) स्तम्भ-4 में अंकित शासनादेश सं0-83/2021/आ0-08/23-9-2021-01एस0पी0एम0/ 2021, दि0 23.03.2021 की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

(4) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 36,47,000 (रुपये छत्तीस लाख सैंतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043371350 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण / चौडीकरण / सुदृढीकरण / उच्चीकरण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव

संख्या- 71/2022/671 (1)/002-23-9-2022-01एसपीएम-2020, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य् विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
3- जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, फिरोजाबाद।
7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता , लो0नि0वि0।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 /वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0शासन ।
12- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शिव कुमार)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in